



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (0)

पत्रांक 1982 / 2ई0

दिनांक 20 / 11 / 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दांडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.980 है0 वनभूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/20005/2016)

सन्दर्भ:-

नोटल अधिकारी देहरादून के Eds Dated 21-10-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं मजालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अंतिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	In Form A, Part I, Under the component wise break up, please mention the component wise breakup as ROAD, MUCK DISPOSAL etc, information provided under component wise breakup is not correct. Kindly update the same.(screenshot is attached for your reference).	Whole muck disposal is carried in napland with prior permission of villagers there NOC (No objection certificate) is duly attached. No muck dumping is carried out in forest land.
2	In form A, Part I, the KML file uploaded under C-Maps of the forest land proposed to be diverted is not correct as it pertains to some CA land. Kindly upload the new KML file by showing the alignment as well as the alternate alignment of the road to be proposed.	Revised KML file upload In form A, Part I & showing the alignment and alternate alignment of the road to be proposed. (पुनः KML file form A, Part I अपलोड कर दिया गया है।)
3	- In Form A ,Part I the name of the village mentioned under the b-3 village wise breakup and the VLC proceeding uploaded along with FRA certificate is not same. Kindly clarify and upload the VLC proceeding and NOC for all the village as mentioned under the village wise breakup.	ऑनलाइन फार्म-“ए” के पार्ट-1 में name of the village mentioned under the b-3 village wise breakup में ग्राम दांडिमखेत एवं कन्यालीकोट जो दिखाये गये हैं वे मेकानाखुमटिया के लोक हैं। जिसकी the VLC proceeding and NOC ऑनलाइन एफ0आरफ0ए के साथ अपलोड किये गये हैं।
4	In Form A, Part I, the authority letter uploaded in A-3-(xvii)- not bears the name of the competent authority, it is mandatory to mention the name and designation of the issuing authority. Kindly upload the same after mentioning the name of the competent authority.	Authority Letter at para A-3(XVII) is now uploaded for E.E. S.K.Pandey (Sanjay Kumar Pandey) and also provided in hard copy.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)


प्रारूप-1

Mr. S.K.Pandey (Executive Engineer) is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding Construction of Darimkhet-Kanyalikot Motor road (Length 5.00) of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Superintending Engineer (head of the Instituion name/designation


कडीशमन अमिहन्ता
सिविल एन्जिनियरिंग विभाग
बागेश्वर

डिजिटल मानचित्र :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend


- Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Motor Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

कन्यालीकोट, कपकोट, दाडिमखेत, पारवतपुर

Assistant Engineer

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Kapkote
(Bageshwar)


जीयोरेफरेन्स मैप – माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



डिजिटल मानचित्र :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत
दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

-  Proposed Plantatin 3.96 Ha.
-  Reserve Forest Area
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Range Boundary

बन विभाग
कन्यालीकोट क्षेत्र
दाडिमखेत


Assistant Engineer

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Kapkot
(Bageshwar)

जीयोरेफ़ेरेन्स मैप – माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:5,000



S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 52' 17.021" E	29° 55' 24.126" N
2	79° 52' 13.466" E	29° 55' 23.505" N
3	79° 52' 8.961" E	29° 55' 23.204" N
4	79° 52' 5.619" E	29° 55' 22.966" N
5	79° 52' 5.433" E	29° 55' 19.762" N
6	79° 52' 7.598" E	29° 55' 19.912" N
7	79° 52' 10.432" E	29° 55' 19.377" N
8	79° 52' 11.986" E	29° 55' 19.743" N
9	79° 52' 14.357" E	29° 55' 20.829" N
10	79° 52' 17.624" E	29° 55' 21.134" N
11	79° 52' 20.289" E	29° 55' 21.643" N
12	79° 52' 20.239" E	29° 55' 23.489" N
13	79° 52' 19.939" E	29° 55' 24.583" N

Legend

- GPS Co ordinates
- Ca Land

Assistant Engineer

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Lucknow

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबंध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाहिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मीटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाहिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मीटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 1.980 हे० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 3.960 हे० भूमि ग्राम पोलिंग की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसकी खसरा-खतौनी सलग्न है।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


अभिजाती अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दांडिगखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण में स्थानीय कार्रधारों की जितनी भी नापभूमि सडक निर्माण में कटती जायेगी उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर किया जायेगा।



सहायक अभियंता
निर्माण खास लोक निर्माण वि०
कपकोट


अधिष्ठाता अभियंता
निर्माण खास लोक निर्माण वि०
निर्माण खास लोक निर्माण वि०
कपकोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दांडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर किया जायेगा।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लोनिवि
कपकोट


अधिकारी अभियंता
निर्माण खंड, लोनिवि
निर्माण खंड, लोनिवि
कपकोट